

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

-----0-----
// आदेश //

रायपुर, दिनांक ...२१.१.२०११

क्रमांक एफ 6-23/2011/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008 के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही.के.श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति द्वारा निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बैचलर इन एजुकेशन (बी.एड.) एवं मास्टर इन एजुकेशन (एम. एड.) पाठ्यक्रमों में सत्र 2011-12 से प्रवेश हेतु अंतिम शुल्क का निर्धारण किया जाता है। यह शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा तब तक लागू रहेगा जब तक की फीस समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित नहीं कर दिया जाता।


2 समस्त संस्थाओं के लिये समिति द्वारा निर्धारित अंतिम फीस (शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क) निम्नानुसार है, यह फीस छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्य के छात्रों के लिये एक समान लागू रहेगी :-

क.	संस्था का नाम	बी.एड.पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित वार्षिक फीस (अधिकतम)	एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित वार्षिक फीस(अधिकतम)
1.	अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, कोरबा	28,700/-	
2.	आर्यव्रत शिक्षा महाविद्यालय, रूवाबांधा, भिलाई	28,700/-	
3.	भिलाई नायर समाजम कालेज, भिलाई	28,700/-	
4.	सी.एम.डी.पी.जी. कालेज बिलासपुर	28,700/-	
5.	सेन्ट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट, राजनांदगांव	28,700/-	
6.	क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर	28,700/-	
7.	कानफ्लुएन्स कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव	28,700/-	
8.	डी.पी.विप्र कालेज आफ एजुकेशन, बिलासपुर	28,700/-	48,000/-
9.	देव संस्कृति महाविद्यालय, भिलाई	28,700/-	
10.	दिशा कालेज, रायपुर	28,700/-	
11.	डा.सी.व्ही.रमन कालेज आफ एजुकेशन कोटा, बिलासपुर	28,700/-	48,000/-
12.	डा.राजेन्द्र प्रसाद शिक्षा महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई	28,700/-	
13.	जी.डी.रुंगटा बी.एड.कालेज कोहका, भिलाई	28,700/-	
14.	ग्रेसियस कालेज आफ एजुकेशन, अभनपुर	28,700/-	
15.	गुरुकूल इंस्टीट्यूट गरियाबंद	28,700/-	
16.	जगतगुरु शंकराचार्य कालेज आफ एजुकेशन, भिलाई	28,700/-	
17.	जगरानी देवी शिक्षा महाविद्यालय, बाराह्वार	28,700/-	
18.	कालेन्दी शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	28,700/-	
19.	एम.जे.कालेज, भिलाई	28,700/-	
20.	मैट्स यूनिवर्सिटी स्कूल आफ एजुकेशन, आरंग, रायपुर	28,700/-	

21.	प्रगति कालेज चौबे कालोनी रायपुर	28,700/-	48,000/-
22.	रायल कालेज लालबाग, राजनांदगांव	28,700/-	
23.	रुंगटा कालेज आफ साईन्स एण्ड टेक्नालाजी, दुर्ग	28,700/-	48,000/-
24.	सेठ फूलचंद अग्रवाल समिति महाविद्यालय, राजिम नवापारा	28,700/-	
25.	शिव कालेज मैत्री बिहार, भिलाई	28,700/-	48,000/-
26.	श्रीराम शिक्षा महाविद्यालय, राजनांदगांव	28,700/-	
27.	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई	28,700/-	48,000/-
28.	सेन्ट थामस कालेज रुंवाबांधा, भिलाई	28,700/-	
29.	सेन्ट विसेन्ट पैलोटी कालेज कापा, रायपुर	28,700/-	
30.	सेन्ट जेवियर शिक्षा महाविद्यालय, अंबिकापुर	28,700/-	
31.	सूर्या महाविद्यालय, जगदलपुर	28,700/-	
32.	स्वामी स्वरूपानंद इस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, भिलाई	28,700/-	48,000/-
33.	अपोलो कालेज अंजोरा, दुर्ग	28,200/-	47,500/-
34.	भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई	28,200/-	
35.	कालेज आफ एजुकेशन विलेज मेडुका (शिक्षा महाविद्यालय मेडुका) बिलासपुर	28,200/-	47,500/-
36.	डी.एल.एस.पी.जी.कालेज बिलासपुर	28,200/-	
37.	डा.आर.एन.एस.कालेज आफ एजुकेशन मनेन्द्रगढ़ जिला अंबिकापुर	28,200/-	
38.	दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर	28,200/-	
39.	ज्ञानदीप कालेज आफ एजुकेशन, जांजगीर	28,200/-	
40.	ज्ञानोदय शिक्षा महाविद्यालय, जांजगीर	28,200/-	
41.	इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी एण्ड साइन्सेज, गरियाबंद रायपुर	28,200/-	
42.	जय धनेश्वरी एजुकेशन सोसायटी माना बस्ती, रायपुर	28,200/-	
43.	जय धनेश्वरी एजुकेशन सोसायटी सेसादेही धमतरी	28,200/-	
44.	कोनार्क कालेज आफ एजुकेशन खोकसा, जांजगीर-चांपा	28,200/-	
45.	लालबहादुर शास्त्री शिक्षा महाविद्यालय बलोदा, जिला जांजगीर-चांपा	28,200/-	
46.	महाराज अग्रसेन इन्टरनेशन कालेज, रायपुर	28,200/-	
47.	मंशा शिक्षा महाविद्यालय, भिलाई	28,200/-	47,500/-
48.	मार्गदर्शन शिक्षा महाविद्यालय, बैकुंठपुर	28,200/-	
49.	मौलाना आजाद कालेज आफ एजुकेशन, बिलासपुर	28,200/-	
50.	नेताजी सुभाष कालेज बेलभाटा, अभनपुर	28,200/-	
51.	पं.हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय, जांजगीर	28,200/-	
52.	पं.हरिशंकर शुक्ला समिति कालेज शंकरनगर रायपुर	28,200/-	47,500/-
53.	राहौद एजुकेशन सोसायटी, राहौद, जांजगीर-चांपा	28,200/-	
54.	संत गुरुघासीदास शिक्षा महाविद्यालय, विलेज, पचपेड़ी जिला बिलासपुर	28,200/-	
55.	संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर	28,200/-	

56.	संत हरकेवल ताज बहादुर बी.एड. कालेज अंबिकापुर	28,200/-	
57.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर	28,200/-	
58.	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट कुमहारी, दुर्ग	28,200/-	
59.	श्री सिद्धपीठ महामाया शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर	28,200/-	
60.	शुभम शिक्षण कालेज बिलासपुर	28,200/-	
61.	उत्कर्ष कालेज आफ एजुकेशन विलेज सरखों जिला जांजगीर-चांपा	28,200/-	
62.	वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	28,200/-	
63.	विश्वभारती इंस्टीट्यूट, रायपुर	28,200/-	
64.	अग्रसेन कालेज दुर्ग	27,700/-	
65.	भारती महाविद्यालय दुर्ग	27,700/-	47,000/-
66.	भिलाई मैत्री कालेज रिसाली भिलाई	27,700/-	47,000/-
67.	सी.जी.शिक्षा महाविद्यालय विलेज अहेरी, जिला दुर्ग	27,700/-	
68.	छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई	27,700/-	
69.	जी.एच.रायसोनी नेशनल कालेज रायपुर	27,700/-	
70.	घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	27,700/-	47,000/-
71.	इंडियन कालेज आफ एजुकेशन महासमुंद	27,700/-	
72.	कल्याण महाविद्यालय सेक्टर-6, भिलाई	27,700/-	47,000/-
73.	कांति दर्शन महाविद्यालय, भिलाई	27,700/-	
74.	खालसा कालेज दुर्ग	27,700/-	
75.	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर	27,700/-	
76.	महाराजा प्रवीरचन्द कालेज जगदलपुर	27,700/-	
77.	महात्मा गांधी कालेज, रायपुर	27,700/-	
78.	महावीर जैन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग	27,700/-	
79.	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, सुन्दर नगर, रायपुर	27,700/-	
80.	संतरी बाई कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद	27,700/-	
81.	सेठ बद्रीलाल खण्डेलवार शिक्षा महाविद्यालय, दुर्ग	27,700/-	
82.	सेठ सुगन चन्द सुराना महाविद्यालय, दुर्ग	27,700/-	
83.	श्री महंत लाल दास शिक्षा महाविद्यालय शिवरीनारायण	27,700/-	
84.	उदय कालेज जामुल भिलाई	27,700/-	
85.	विकास शिक्षा महाविद्यालय डुमर तराई, रायपुर	27,700/-	
86.	विश्व भारती इंस्टीट्यूट कोंटा जिला दन्तेवाड़ा	27,700/-	
87.	विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन कोटा, रायपुर	27,700/-	

- इसके अतिरिक्त संस्थाये रु. 1000/- प्रतिवर्ष/प्रति छात्र विकास शुल्क तथा रु. 1500/-प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय कांशन मनी के रूप में प्रावधान राशि ले सकती है, जो वापिसी योग्य है।
- 3/ समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना कॅपिटेशन फीस कहलायेगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
 - 4/ यह फीस सत्र 2011-12 से प्रवेशित छात्रों के लिए है एवं यही फीस पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए लागू रहेगी ।
 - 5/ सत्र 2011-12 में प्रवेशित छात्रों से यदि किसी संस्था ने निर्धारित फीस से अधिक फीस ले ली हो तो उसे छात्र को वापिस किये जाय ।
 - 6/ छात्रों द्वारा निर्धारित समय पर फीस नहीं जमा करने पर लेट फीस रु. 25/- प्रतिदिन (अधिकतम) लिया जा सकेगा ।
 - 7/ संस्था द्वारा ट्रान्सपोर्ट शुल्क, छात्रावास, शुल्क, एवं मेस शुल्क "न लाभ न हानि" (no profit no loss) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता से लिया जाना है ।
 - 8/- विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क कमशः विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया है वही लिया जाना है ।
 - 9/- यदि किसी संस्था का कोई पाठ्यक्रम एकीडिटेडेड है तो उस संस्था द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों से रु. 500/- प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर की शुल्क अतिरिक्त लिया जा सकेगा। यह शुल्क एकीडिटेडेड अवधि (जिस छात्र के लिए एकीडिटेड है) के लिए ही लिया जा सकता है । यदि एकीडिटेड की अवधि समाप्त हो चुकी है तो यह शुल्क देय नहीं होगा ।
 - 10/- निर्धारित की गई फीस अधिकतम है कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है।
 - 11/- विकास शुल्क की सम्पूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात् शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिए ही व्यय किया जावेगा । इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है ।
- टीप :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी.) 2112/2010 एवं 2388/2010 के अध्यायीन रहेगी एवं इन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले आदेश/निर्देश के अनुसार आदेश में बदलाव किया जा सकेगा ।


 (एम.एन.राजुकर)
 अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 6-23/2011/20-तीन
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 21/07/2011

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर ।
 2. माननीय मुख्यमंत्री जी, के सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय रायपुर
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
 4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
 5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
 6. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर, ।
 7. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
 8. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर ।
 9. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर ।
 10. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर ।
 11. रजिस्ट्रार, पंडित रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर ।
 12. रजिस्ट्रार, गुरुघासीदास वि.वि.कोनी, बिलासपुर ।
 13. रजिस्ट्रार, सरगुजा वि.वि.अंबिकापुर ।
 14. रजिस्ट्रार, बस्तर वि.वि. जगदलपुर ।
 15. रजिस्ट्रार, डा.सी.व्ही.रमन वि.वि. बिलासपुर ।
 16. रजिस्ट्रार, मेट्स यूनिवर्सिटी, आरंग, रायपुर ।
 17. समस्त संबंधित शिक्षा महाविद्यालय,
 18. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, रायपुर ।
 19. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

21/07/2011.

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// संशोधन आदेश //

रायपुर, दिनांक 27/8/11

क्रमांक एफ 6-23/2011/20-तीन :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21.07.2011 द्वारा बी.एड.
/एम.एड. हेतु अंतिम शुल्क का निर्धारण 2011-12 से किया गया था, में आंशिक संशोधन कर राज्य
शासन एतद् द्वारा सत्र 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिये तदनुसार अंतिम शुल्क निर्धारित
किया जाता है ।

2/ संदर्भित आदेश के सरल क्रमांक 6 (लेट फीस से संबंधित), सरल क्रमांक 9 (प्रति
सेमेस्टर अतिरिक्त शुल्क से संबंधित) तथा टीप को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है ।

(एम.एन.राजुरकर) 27/8/11
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 27/8/11

पृ. क्रमांक एफ 6-23/2011/20-तीन
प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर ।
 2. माननीय मुख्यमंत्री जी, के सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय रायपुर
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
 4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
 5. मुख्य सचिव के स्ट्रफ आफिसर, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
 6. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर ।
 7. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
 8. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर ।
 9. सदस्य/सचिव, प्रवेश तथा फ्रीस विनियामक सचिवालय, छ0ग0 रायपुर ।
 10. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर ।
 11. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर ।
 12. रजिस्ट्रार, पंडित रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर ।
 13. रजिस्ट्रार, गुरुघासीदास वि.वि.कोनी, बिलासपुर ।
 14. रजिस्ट्रार, सरगुजा वि.वि.अंबिकापुर ।
 15. रजिस्ट्रार, बस्तर वि.वि. जगदलपुर ।
 16. रजिस्ट्रार, डा.सी.व्ही.रमन वि.वि. बिलासपुर ।
 17. रजिस्ट्रार, मेड्स यूनिवर्सिटी, आरंभ, रायपुर ।
 18. समस्त संबंधित शिक्षा महाविद्यालय,
 19. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, रायपुर ।
 20. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग